



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : २६३८

दिनांक : 19.09.2026

सेवा में,

1. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या,
सम्बद्ध महाविद्यालय,
चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
2. विभागाध्यक्ष समन्वयक विश्वविद्यालय परिसर।

महोदय/महोदया,

कृपया चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के Admission Of Student To Colleges Ordinances के बिन्दु 14 जो निम्नवत् हैं, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

14. A Student shall be recognised as a member of the college only when his application form for admission has been accepted by the Principal as per admission rule (See Appendix II), when he has paid the fees demanded by the college and has submitted all the necessary documents such as, transfer certificate, *migration certificate* etc, as desired by the Principal of the college.

If for certain reasons, a student is unable to submit certain certificates at the time of admission the Principal may admit him provisionally subject to the condition that his *admission will be confirmed only when he has submitted all the necessary certificates and documents* within the dates prescribed by the Principal.

2. कृपया उपर्युक्त नियम के अनुपालन में 2026-27 शैक्षिक सत्र हेतु जिन छात्र/छात्राओं का प्रवेश हुआ है, के समस्त अभिलेख परीक्षाफार्म भरने से पूर्व जमा करवाना सुनिश्चित करें।
3. अन्य विश्वविद्यालयों/बोर्ड के ऐसे छात्र जिन्होंने इस विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया है, के मूल माइग्रेशन प्रमाण-पत्र तथा समस्त छात्रों के शैक्षिक अभिलेखों की छायाप्रति परीक्षाफार्म के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करें।
4. ऐसे छात्र छात्रा जिनका माइग्रेशन प्रमाण-पत्र जमा नहीं है अथवा पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित अर्हता के शैक्षिक अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं, के परीक्षाफार्म किसी भी दशा में भरवाये न जायें।
5. अनर्ह छात्र/छात्राओं के परीक्षाफार्म स्वतः निरस्त कर दिये जायेंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग/महाविद्यालय/छात्र/छात्रा की होगी।

Ala
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/सम्बद्ध महाविद्यालय एवं विभागाध्यक्ष/समन्वयक विश्वविद्यालय परिसर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त अध्यादेश का अक्षरशः अनुपालन करते हुये छात्र/छात्राओं को व्यापक रूप से अवगत कराना सुनिश्चित करें।
2. वैयक्तिक सहायक कुलपति को मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. छात्र कल्याण अधिष्ठाता को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. प्रभारी विश्वविद्यालय वेबसाइट को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. प्रेस प्रवक्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. उप/सहायक कुलसचिव/परीक्षा/गोपनीय/प्रवेश।

कुलसचिव